न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 249 / 2024

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र कृष्णलाल जाति गुसाई निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. घुड़गिर पुत्र सुगनगिर जाति गुसाई निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र घुड़गिर जाति गुसाई निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. रोहताश पुत्र कृष्णलाल जाति गुसाई निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र पुत्र घुड़गिर जाति गुसाई निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. भंवरलाल पुत्र घुड़गिर जाति गुसाई निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
6. चन्द्रकला पुत्री घुड़गिर जाति गुसाई निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. पंजीयक कार्याल उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः - 10/12/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 297 / 286 की कुल 18.9750 जिसके पूर्व में साय के दादा घुड़गिर पुत्र सुगनगिर जाति गुसाई संयुक्त रूप से 1 / 2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में घुडगिर पुत्र पुत्र सुगनगिर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज हुई है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है।

वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 क नाम दर्ज रहने से गैरसायल संख्या 1 प्रार्थी को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है। वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वाद भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 बिना नाजायज जरूरतों को रहन, बैय करना चाहते है। अगर अप्रार्थी स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थी को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 की [illegible] अकेला खातेदार काश्तकार है उसके जीवनकाल में सायल व गैरसायल संख्या [illegible] 6 का कोई हक [illegible] नही है। उक्त भूमि का अप्रार्थी स0 1 रिकार्डेड खातेदार है। प्र[illegible] का प्रार्थना पत्र [illegible] खारिजी के है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में घुडगिर पुत्र पुत्र सुगनगिर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज हुई है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है क्योंकि उक्त वाद भूमि अन्य भूमि का बेचना कर खरीद की गई है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी पेश नही किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया पैतृक भूमि होना साबित हो जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं की खरीद शुदा भूमि होना प्रतीत होता है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 09.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:49:18 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर